समन्वय | आवश्यक

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
"वर्कचार्ज वर्ग"
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून।

OFFICE OF THE ENGINEER-IN-CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431

Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-cepwdua@gmail.com

पत्रांकः–22 / 23का0प्र0–अधि0 / 19 दिनांकः–16.01.2020

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
..............................वां वृत्त......................
लो0नि0वि0 .... ।

विषयः– एस0एल0पी0 (सिविल) संख्या 4371 / 2011 प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एंव अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिनांक 02.09.2019 को पारित निर्णय के कम में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत वर्कचार्ज की सेवा को क्वालीफाई सेवा मानते हुए पेंशनरी लाभ दिये जाने के संबंध में।

कृपया उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि **लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत वर्कचार्ज की सेवा को क्वालीफाई सेवा मानते हुए पेंशनरी लाभ दिये जाने के संबंध में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों के सम्बन्ध में दिनांक–16.01.2020 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में सिंचाई विभाग / शासन / संगठन के पदाधिकारियों / याचिकाकर्ताओं के साथ बैठक आहूत की गयी** बैठक में विचार विमर्श करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या–जिन्हें लाभ प्रदान किया जाना है की संख्या ज्ञात की जाय ताकि सूचना शासन को प्रेषित की जा सके तथा इस सम्बन्ध में प्रारूप निर्धारित करते हुये उसमें अधीनस्थ कार्यालयों से सूचना मांगी जाय।

अतः तदनुसार उपरोक्त स्थिति स्पष्ट करने हेतु निर्धारित प्रारूप–1 (11कॉलम) एवं निर्धारित प्रारूप–2 (10कॉलम) संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किये जा रहे है कि उक्त प्रारूपों में अपने–अपने वृत्त स्तर की सूचना संकलित कर अविलम्ब दो दिन के भीतर ई–मेल द्वारा इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रकरण मा0 उच्चतम न्यायालय से आच्छादित है तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार तीन माह का समय पूर्व ही निकल चुका है, अतः व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्न–यथोपरि।

16/01/2020
(हरिओम शर्मा)
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विषयक सूचना तत्काल निर्धारित प्रारूप में संकलित कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1–मुख्य अभियन्ता ....लो0नि0वि0...।
संलग्न–यथोपरि।

2–अधिशासी अभियन्ता नि0 / प्रा0 / रा0मा0 / वि0 / यॉ0 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / ए0डी0बी0 / सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0 ....।
संलग्न–यथोपरि।

प्रमुख अभियन्ता

समयबद्ध / आवश्यक

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
"वर्कचार्ज वर्ग"
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून।
OFFICE OF THE ENGINEER-IN-CHIEF, P.W.D., DEHRADUN,UTTARAKHAND
Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-cepwdua@gmail.com

पत्रांकः– 22 / 23का0प्र0–अधि0 / 19 दिनांकः–16.01.2020

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
............................वां वृत्त......................
लो0नि0वि0 ....।

विषयः– **एस0एल0पी0 (सिविल) संख्या 4371 / 2011 प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एंव अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिनांक 02.09.2019 को पारित निर्णय के कम में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत वर्कचार्ज की सेवा को क्वालीफाई सेवा मानते हुए पेंशनरी लाभ दिये जाने के संबंध में।**

कृपया उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि **लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत वर्कचार्ज की सेवा को क्वालीफाई सेवा मानते हुए पेंशनरी लाभ दिये जाने के संबंध में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों के सम्बन्ध में दिनांक–16.01.2020 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में सिंचाई विभाग / शासन / संगठन के पदाधिकारियों / याचिकाकर्ताओं के साथ बैठक आहूत की गयी** बैठक में विचार विमर्श करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या–जिन्हें लाभ प्रदान किया जाना है की संख्या ज्ञात की जाय ताकि सूचना शासन को प्रेषित की जा सके तथा इस सम्बन्ध में प्रारूप निर्धारित करते हुये उसमें अधीनस्थ कार्यालयों से सूचना मांगी जाय।

अतः तद्नुसार उपरोक्त स्थिति स्पष्ट करने हेतु निर्धारित प्रारूप–1 (11कॉलम) एवं निर्धारित प्रारूप–2 (10कॉलम) संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किये जा रहे है कि उक्त प्रारूपों में अपने–अपने वृत्त स्तर की सूचना संकलित कर अविलम्ब दो दिन के भीतर ई–मेल द्वारा इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रकरण मा0 उच्चतम न्यायालय से आच्छादित है तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार तीन माह का समय पूर्व ही निकल चुका है, अतः व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्न–यथोपरि।

(हरिओम शर्मा)
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि-- निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विषयक सूचना तत्काल निर्धारित प्रारूप में संकलित कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1–मुख्य अभियन्ता ....लो0नि0वि0...।
संलग्न–यथोपरि।

2–अधिशासी अभियन्ता नि0 / प्रा0 / रा0मा0 / वि0 / यॉ0 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / ए0डी0बी0 / सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0 ....।
संलग्न–यथोपरि।

16/01/2020
प्रमुख अभियन्ता

प्रारूप–1

ऐसे कार्मिकों का सेवा विवरण जिनके द्वारा वर्क चार्ज की सेवा को जोड़ते हुये सेवा निवृत्ति लाभ प्राप्त करने हेतु माननीय न्यायालयों मे याचिका योजित की गयी है, तथा जो दिनांक–31.12.2019 तक सेवानिवृत्त हो चुके है।

कार्यालय का नाम – वृत्त का नाम– क्षेत्र का नाम–

क्र.स.	कर्मचारी का नाम	वर्कचार्ज का पद नाम जिस पर नियुक्ति हुई हो	वर्कचार्ज में नियुक्ति की तिथि	पद नाम जिससे सेवा निवृत्त हुये हों	सेवा निवृत्ति की तिथि	सेवानिवृत्ति के समय वर्कचार्ज/ नियमित। यदि नियमित हुये हो तो नियमित होने की तिथि	यदि नियमित था तो पेंशन के पात्र थे अथवा नहीं	भुगतान किस में किया गया जी0पी0एफ0 अथवा एन0पी0 एस0	वर्कचार्ज की सेवा सहित पेंशन लाभ हेतु दायर की गयी याचिका की संख्या	रि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

हस्ताक्षर

प्रारूप–2

ऐसे कार्मिकों का सेवा विवरण जो दिनांक–31.12.2019 तक सेवानिवृत्त हो चुके है, सेवा निवृत्ति लाभ दिया जाना है, (जिनकी सूचना प्रारूप–। पर दे दी गयी है उनको सम्मिलित न किया जाय)

कार्यालय का नाम –   वृत्त का नाम–   क्षेत्र का नाम–

क्र.स.	कर्मचारी का नाम	वर्कचार्ज का पद नाम जिस पर नियुक्ति हुई हो	वर्कचार्ज में नियुक्ति की तिथि	पद नाम जिससे सेवा निवृत्त हुये हों	सेवा निवृत्ति की तिथि	सेवानिवृत्त के समय वर्कचार्ज/नियमित। यदि नियमित हुये हो तो नियमित होने की तिथि	यदि नियमित था तो पेंशन के पात्र थे अथवा नहीं	भुगतान किस में किया गया जी0पी0एफ0 अथवा एन0पी0 एस0	टिप्प
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

हस्ताक्षर